

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 111/एफ 2016-04-03313/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 4.3.2017  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त कलेक्टर  
छत्तीसगढ़


विषय:—राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र  
(Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किया जाना

संदर्भ:—वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 1186/एफ 2015-04-01752/2016/स्था./चार,  
दिनांक 19.10.2016

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिये डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता भाग-एक के सहायक नियम 363 में संशोधन किया गया है। उक्त संशोधन संबंधी अधिसूचना की प्रति संलग्न है।


संलग्न:—यथोपरि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
4/3/2017  
(एस.के. चक्रवर्ती)  
संयुक्त सचिव

पृ. क्र. 112/एफ2016-04-03313/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 4.3.2017  
प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
  2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
  3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
  4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
  7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
  8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
  9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
  10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
  11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
  12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
  13. संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
  14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
  15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
  16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
  17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
  18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर की ओर वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु

  
4/3/2017  
(प्रेमा गुलाब एक्का)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च, 2017

क्रमांक : एफ 2016-04-03313/वित्त/नियम/चार :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालय नियम (छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता जिल्द एक, भाग-दो) के अंतर्गत सहायक नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-


संशोधन

उक्त सहायक नियमों में,-

सहायक नियम 363 में, पैरा दो के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“पेंशनर/परिवार पेंशनर, जो आधार कार्ड बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन पर आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करता है, को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जायेगी”।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(एस.के. चक्रवर्ती) 4/3/2017  
संयुक्त सचिव

**Government of Chhattisgarh**  
**Finance Department**  
**Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur**

**NOTIFICATION**

Naya Raipur, dated 4 March, 2017

No. F 2016-04-03313/Finance/Rules/IV :: In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Subsidiary Rules under Treasury Rules, Chhattisgarh (Chhattisgarh Treasury Code Volume I, Part-II), namely:-


**AMENDMENT**

In the said subsidiary rules,-

In subsidiary rule 363, after para two, the following shall be added, namely:-

“Pensioner/Family pensioner, who submits online Digital Life Certificate based on Aaddar Card biometric authentication, Shall be exempted from personal appearance.”

By order and in the name of the  
Governor of Chhattisgarh,

  
(S.K. Chakraborty) <sup>4/3/2017</sup>  
Joint Secretary